

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांक: 31.08 / 33-1, दिनांक, महोबा, 01/03/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
उ०प्र०, बाँदा।

विषय:— उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्गा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला-महोबा में प्रभावित 12.4869 हे० संरक्षित एवं 1.9665 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०८/१६९/२०२२/एफ०सी०/८८४, दिनांक ०७.०२.२०२३।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में ०३ बिन्दुओं पर दर्शायी गयी कमियाँ के निस्तारण हेतु आख्या निम्नानुसार आपको ४ प्रतियों में प्रेषित है—

क्र०सं०	कमियों का उल्लेख	कमियों का निराकरण
1.	Since the CA on non-forest land is proposed on Janglat Gram Samaj land in 2.126 ha. Area, as per provision of clause 2.4 of FCA guideline, double the area proposed for diversion (NFL) needs to be provided for CA, Accordingly revised CA scheme and related documents need to be provided.	अनुपालन किया गया।
2.	Revised Geo-referenced map & SOI toposheet of area proposed for diversion shall be uploaded on PARIVESH portal.	अनुपालन किया गया।
3.	Revised Geo-referenced map & SOI toposheet of proposed CA land in Mahoba range shall be uploaded on PARIVESH portal.	अनुपालन किया गया।

महोदय,
(डॉ० नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या— /अ/सम् दिनांक।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, महोबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।